

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:-**277** / FP/UK/IRRIG/7292/2014 देहरादून: दिनांक: **23**, जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनारा-पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 हेक्टर से कम क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टर 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(एस०टी०एस० लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/IRRIG/7292/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौडी।
- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, टॉस वन प्रभाग, पुरोला।
- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पुरोला।

  
(एस०टी०एस० लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनारा-पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टौंस वन प्रभाग, पुरोला में 0.69 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त नहर के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1.00 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

जनपद-उत्तरकाशी वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

शासकीय वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, भूमि संवर्धन निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि 23 /07/2016

स्थान : देहरादून